बाज़ार के शिष्टाचार

मुहम्मद अज़हर मदनी

हज़रत अबू हुरैरा रज़िअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल (पैगम्बर) मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः अल्लाह तआला को सबसे ज़्यादा प्रिय शहरों में पाई जाने वाली मस्जिदें हैं और अल्लाह तआला को सबसे ज़्यादा अप्रिय शहरों में पाए जाने वाले बाज़ार हैं। (सहीह मुस्लिम १/४६४)

अल्लाह ने तिजारत को हलाल और सूद को हराम क़रार दिया है जैसा कि कुरआन में भी अल्लाह तआला ने फरमाया है। उपर्युक्त हदीस में रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने मस्जिदों को अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा प्रिय और बाज़ार को सबसे ज़्यादा नापसन्दीदा क़रार दिया है। मगर नापसन्दीदगी के बावजूद इन्सान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिये बाज़ार जा सकता है, तिजारत के मामलात तय कर सकता है यह सारी चीज़ें जायज़ हैं। हां ऐसी जगहों पर जहां इन्सान अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है, दुनिया की तड़क भड़क में गुम हो जाता है, जाने से बचना चाहिए। इसी तरह बिला ज़रूरत बाज़ार जाना भी दुरूस्त नहीं है क्योंकि अल्लाह को यह नापसन्द है इसलिये जब कोई बाज़ार जाए तो बाज़ार के आदाब (शिष्टाचार) का ख्याल रखे। बाज़ार के आदाब में से है कि बाज़ार में दाखिल होते वक़्त यह दुआ पढ़े ''ला इलाहा इल्लल्लाहो वहदहू ला शरीका लहू, लहुल मुल्को व लहुल हम्दो, युहई व युमीतो वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर'' अर्थात अल्लाह के अलावा कोई माबूद (पूज्य) नहीं, उसका कोई शरीक (साझी) नहीं, उसी के लिये बादशाहत है और हर तरह की प्रशंसा उसी के लिये है, वही जिलाता है और वही मौत देता है और वह हर चीज़ पर कुदरत रखता है'' (मुसनद अहमद, इब्ने माजा, तिर्मिज़ी, अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को हसन करार दिया है) पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स बाज़ार में दाखिल होते हुए यह दुआ पढ़ता है तो अल्लाह तआला उसके लिये दस लाख नेकियां लिख देता है और दस लाख गुनाह मिटा देता है और दस लाख दर्जात को बुलन्द कर देता है और यह दुआ पढ़ने वाले के लिये जन्नत में एक घर बना देता है।

बाज़ार में कुछ ऐसे काम अंजाम पाते हैं जिससे सख्ती से मना किया गया है जैसे बाज़ार में हंगामा करना, लोगों को दुख देना, धक्का मुक्की करना, मामूली मामूली बातों पर लड़ाई झगड़ा करना, गाली गुलूज करना, बिला वजह आवाज़ ऊंचा करना, बाज़ार में गंदगी फैलाना और सफाई का ख्याल न रखना आम बात है।

तिजारत के शरई सिद्धांतों को पूरा न करना जैसे कि झूठ बोलना, क़सम खाना और क़सम के ज़रिए लोगों को धोका देना, लड़ाई झगड़े का माहौल बनाना, नमाज़ और अज़ान के वक़्त तिजारत में व्यस्त रहना, नमाज़ की पाबन्दी न करना, नाप तौल में कमी करना, ज़रूरत मन्द और मजबूर को देख कर दाम बढ़ा देना, चोरी का माल बेचना और खरीदना, चौक चौराहे पर खड़ा हो कर समय बर्बाद करना। यह सब बाज़ार के शिष्टाचार के खिलाफ है। हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम इन तमाम बुराइयों से बचें बाज़ार के आदाब का ख्याल रखें। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको कुरआन व हदीस की शिक्षाओं का पाबन्द बनाए।

मासिक

इसलाहे समाज

दिसंबर 2019 वर्ष 30 अंक 12

जुमादल ऊला 1441 हिजरी

संरक्षक

असग़र अ़ली 'सलफ़ी'

संपादक

एहसानुल् हक़्

❑ वार्षिक राशि	100 रुपये
❑ प्रति कापी	10 रुपये
❑ टोटल पेज	28

सम्पर्क

मासिक इसलाहे समाज (हिन्दी)
4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद
दिल्ली-110006
फोन : 23273407 फ़ैक्स: 23246613
RNI No. 53452/90

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद इरफान शाकिर ने मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ओर से भारत आफसेट 2035 क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवा कर अहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6 से प्रकाशित किया।

सम्पादक: एहसानुल् हक्क़

लेखक के विचारों से संस्था का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

इस अंक में

1.	बाज़ार के शिष्टाचार	2
2.	जीवन के मक़सद की खोज या पुनः प्राप्ति	4
3.	शरीअत और जुम्हूरियत (लोकतंत्र)	7
4.	इस्लाम में क़ैदियों का अधिकार	8
5.	तौबा	10
6.	समता और न्याय का अधिकार	11
7.	रिश्तों को मज़बूत बनाएं	13
8.	इस्लाम में पड़ोसियों के अधिकार	14
9.	नशीले पदार्थ का नुक्सान	16
10.	मिलावट : महा पाप	18
11.	न्याय पूर्ण गवाहियाँ	19
12.	बच्चों के प्रशिक्षण का तरीक़ा	20
13.	सदाचार इस्लाम की रोशनी में	22
14.	प्रेस रिलीज़	23
15.	प्रेस रिलीज़	23
16.	प्रेस रिलीज़	24
17.	इमामों की ज़िम्मेदारियां	25
18.	किसी जानदार को दुख न पहुंचाओ	26
19.	धार्मिक सिद्धांतों से दूर होने का अंजाम	27
20.	कलैन्डर 2020	28

ईमेल:-
Jaridahtarjuman@gmail.com
Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com
अब 'इसलाहे समाज' इन्टरनेट पर भी उपलब्ध है
वेब साइट:- **www.ahlehadees.org**

जीवन के मक़सद की खोज या पुनः प्राप्ति

मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी
अमीर, मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द

यह चन्द दिनों की ज़िन्दगी जिसे नादानों ने अपनी कथनी व करनी से शाश्वत जीवन समझ रखा है और रात व दिन और शाम व सुबह में ढ़लते और गुज़रते हुए इन औक़ात को एक रूटीन का काम समझ कर अपने आप को इसके हवाले कर दिया है और जीवन का मक़सद क्या है और मरना जीना किस लिये और किसके लिये है इससे खास सरोकार नहीं है। गोया कि उन की निगाह में सोकर सुबह ताज़ादम उठना और शाम को चारों चित लेट जाने का नाम ही ज़िन्दगी है।

सुबह होती है शाम होती है
ज़िन्दगी यूं ही तमाम होती है

इस ज़िन्दगी का असल और सबसे पहला मक़सद क्या है, इसकी न कोई चेतना व एहसास है न कोई मक़सद है और इसके लिये कोई प्रोग्राम है और न ही इस पर अमल है। गोया जिन्दगी बेबन्दगी शर्मिन्दगी की जीती जागती तस्वीर बनी हुई है। ऐसे में हमारे जीवन के यह दिन अगर रब की इबादत में गुज़रे हैं तो ऐसे खुश्नसीबों और अक़लमन्दों के लिये ''(उनसे कहा जाएगा) कि मजे से खाओ, पियो अपने उन आमाल के बदले जो तुमने पिछले जमानों में किए'' (सूरे हाक्कह २४) का ऐलान और खुशखबरी होगी और कल मौत के वक़्त गाफिलों, दुनियादारों और नादानों के हिस्से में ''यहां तक कि जब उनमें से किसी को मौत आने लगती है तो कहता है ऐ मेरे परवरदिगार! मुझे वापस लौटा दे कि अपनी छोड़ी हुई दुनिया में जा कर नेक आमाल कर लूं, हर्गिज़ ऐसा नहीं होता, यह तो सिर्फ एक कथन है जिसका यह क़ायल है, उनके पसेपुश्त तो एक हिजाब है उनके दोबारा जी उठने के दिन तक'' (सूरे मोमिनून-९९-१००) की फरियाद के सिवा कुछ न आए गा और उधर से जो धुतकार व फटकार होगी वह अलग है। ''उसे पकड़ लो फिर उसे तौक़ पहना दो फिर नरक में डाल दो'' (सूरे हाक़्क़ा, ३०-३१) के हुक्म के साथ चेतावनियां भी सुनाई जाएंगी। ऐसे लोगों को सज़ा देने के सिलसिले में अल्लाह के किसी हुक्म के आज्ञापालन में नरक के दारोगा ज़रा भी संकोच नहीं करेंगे वैसे भी उनकी विशेषता यह है कि ''जो हुक्म अल्लाह तआला देता है उसकी नाफरमानी (अवज्ञा) नहीं करते बल्कि जो हुक्म दिया जाए पालन करते हैं'' (सूरे तहरीम-६)

इन गाफिलों, बदबख्तों, गुनेहगारों और बेमकसद जिन्दगी गुज़ारने के रसिया लोगों को किन किन दुखों तकलीफों, कठिनाइयों और पेरशानियों से गुज़रना ही नहीं बल्कि इन में रहना भी पड़ेगा, इसकी कल्पना करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिये अगर इस दुनियावी ज़िन्दगी ही में बेहिस्सी की चादर हट गई, होश और अक़ल के नाखून ले लिये और गफलत की नींद से बेदार हो गए तो फिर सौभाग्य का क्या कहना। अल्लाह हम सबको इसकी क्षमता और सामर्थ दे। आमीन

लेकिन यह सवाल अपनी जगह काइम है कि हमारी जिन्दगी का असल मक़सद क्या है और हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए इसकी खोज और पुनः प्राप्ति का काम ही जिन्दगी के राज़ को पा लेने के समान है इस के लिये अल्लाह की इबादत और कुरआन व हदीस की बिना संकोच

पैरवी के साथ साथ तारीखी हस्तियों जो मानव समाज पर असर अंदाज हुईं उनकी जीवनी और सेवओं का अध्ययन भी बहुत ज़रूरी है यह किरदार अच्छे भी हैं और दुष्ट भी उनमें भले भी हैं बुरे भी। हम को यह तय करना है कि हम अल्लाह के वलियों (नेक बन्दों) और मानवता के शुभचिंतकों का पथ अपनाएं गे या शैतान के सहायकों और मानवता के अशुभचिंतकों की डगर को अपनाएं गे और इस तरह अपने आमाल की रोशनी में स्वर्ग व नरक के पात्र ठेहराये जाएंगे और इससे पहले भी इसके प्रभाव भलाई या बुराई की शक्ल में प्रकट होंगे चूंकि अच्छों और बुरों के दर्मियान हमेशा टकराव जारी है और सत्य व असत्य हमेशा टकराते रहे हैं लेकिन सफलता अच्छे लोगों के हक़ में रहा है जैसा कि कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमाया ''अखीर कमायाबी उनही की होती है जो अल्लाह से डरते हैं'' (सूरे आराफ-१२८) और सत्य की असत्य पर विजय होती रही है जैसा कि कुरआन में अल्लाह ने फरमायाः ''आगाह रहो बेशक अल्लाह के गरोह वाले कामयाब लोग हैं''। (सूरे मुजादलह-२२) इसलिये हर हाल में सच्चाई और मानवता की राह अपनानी चाहिए और कौम व समाज और देश व मिल्लत और मानवता के लिये और अल्लाह की खुशी के लिये बहुत कुछ कर जाने का जजबा और हौसला रखना चाहिए इसी में लोक परलोक की कामयाबी निहित है और यही हमारी पैदाइश का मक़सद और जिन्दगी का रहस्य है। अल्लाह तआला ने इन्सानों को यूं ही नहीं पैदा किया बल्कि इन्सान को पैदा करने के पीछे महान मकसद और हिकमत है। कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमाया ''क्या तुम यह गुमान किए हुए हो कि हमने तुम्हें यूं ही बेकार पैदा किया और यह कि तुम हमारी तरफ लौटाए ही नहीं जाओगे'' (सूरे मोमिनून ११५)

इन्सान ही क्या संसार का हर कण एक मकसद के तहत वजूद में लाया गया है और पैदा करने के इस मकसद से एक क्षण भी गफलत हो तो पूरी व्यवस्था तितर बितर हो कर रह जाए। कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमाया ''आसमानों और जमीन की पैदाइश में और रात दिन के हेर फेर में यकीनन अकल मन्दों के लिये निशानियां हैं जो अल्लाह का जिक्र खड़े और बैठे और अपनी करवटों पर लेटे हुए करते हैं और आसमान व ज़मीन की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं और कहते हैं ऐ परवरदिगार! तूने यह बे फायदा नहीं बनाया, तू पाक है पस हमें आग के अज़ाब से बचा ले''। (सूरे आले इमरान १९०-१९१)

जब हमारी ज़िन्दगी का मकसद तयशुदा है तो हमें इसका एहसास व चेतना भी अनिवार्य रूप से होना चाहिए वर्ना इस चन्द दिनों की ज़िन्दगी की सारी मेहनत और प्रयास दिशाहीनता का शिकार होकर अकारत चली जाएगा।

यह तो ज़िन्दगी के मक़सद का आम पहलू हुआ जहां तक इसका इस्लामी व ईमानी और दिनी शिक्षा है तो इसमें जीवन के मकसद को स्पष्ट और निर्धारित तौर पर फोकस किया गया है और काफी ज़ोर देकर इसका एहसास दिलाया गया और अवगत कराया गया है और वह है अल्लाह की बन्दगी व इबादत और उसके बन्दों के साथ हमदर्दी और भलाई, इसके बग़ैर एक मोमिनाना ज़िन्दगी की कल्पना ही नहीं की जा सकती है यह एक कड़ा हुक्म है और इसी में मुसलमानों की भलाई, सौभाग्य और शुभचिंतन और अस्तित्व का राज़ बताया गया है बल्कि खुले अन्दाज़ में आश्वासन कराया गया कि अल्लाह पर मुकम्मल ईमान या उसके आदेशों की पैरवी और आम इन्सानों की खैर खुवाही (शुभचिंतन) और मानव-सेवा इसका विशेष गुण है। जैसा कि कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः

''तुम बेहतरीन उम्मत हो जो

लोगों के लिये पैदा की गई है कि तुम नेक बातों का हुक्म करते हो और बुरी बातों से रोकते हों और अल्लाह पर ईमान रखते हो।'' (सूरे आल इमरान-११०)

हमें ख़ैरे उम्मत कहा गया है और ''ख़ैर'' एक व्यापक शब्द है जो हर तरह के अच्छे कर्म को व्यापक और सम्मिलित है। अल्लाह की इबादत और पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की पैरवी की रोशनी में मानव-सेवा, अल्लाह पर ईमान और उस की खुशी की प्राप्ति इस खैर (भलाई) का केन्द्रीय भाग है। यह भलाई के काम दीनी भी हैं और खालिस दुनियावी अहमियत के वाहक भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर समाज में भाईचारा व सदभावना को बढ़ावा देना, एकता के साथ रहना, अम्न व शान्ति की स्थापना के लिये प्रयास करना, गली कूचों और सड़कों को साफ सुथरा रखना, पानी को बर्बाद होने से रोकना, पर्यावरण का संरक्षण और प्रदूषण फैलाने वाले कामों से बचना, प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों की मदद, गरीबों, मोहताजों, ज़रूरतमन्दों, बेसहारा लोगों की मदद करना, आपस में लड़ने वालों के बीच सुलह सफाई करा देना, समाज को चोरी पाकेट मारी, आतंकवाद, और बलात्कार जैसे दानव और नासूर से पवित्र करना, शराब नोशी, मादक पदार्थ, अंधविश्वास और गलत रस्मो रिवाज से बचाना वगैरह कामों को अगर दीनी जजबे से किया जाए तो वह बहुत ज़्यादा लाभकारी और सोने पे सोहाग बन जाते हैं और इन कामों में मज़बूती और स्थिरता जो आती है वह अलग।

तारीखी तौर पर इस हकीकत का निरीक्षण हो चुका है कि जब उम्मत के पहले काफिले ने ज़िन्दगी के मकसद का सहीह एहसास करके अपने जीवन को अल्लाह की इबादत और उसकी सृष्टि की सेवा और शुभचिंतन में लगा दिया तो वह अल्लाह के यहां पुण्य और जनसामान्य के नजदीक शुक्र के पात्र बन गए। उनकी इज़्ज़त व सरबुलन्दी में चार चांद लग गए और सृष्टि के प्रिय बन गए। कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः

''बेशक जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने सभ्य काम किये हैं उनके लिये अल्लाह रहमान मुहब्बत पैदा कर देगा'' (सूरे मरयम-९६) आज भी यह स्थिति पैदा हो सकती है शर्त यह है कि उम्मत अपने विचार व दृष्टि और व्यवहार में परिवर्तन लाए और जीवन के मक़सद को व्यवहारिक रूप से अपना ले। अल्लाह तआला की यही सुन्नत (तरीक़ा और नियम) है।

बकिया जो इस सत्य मार्ग से वंचित हैं या हसद व नफरत की आग में जल रहे हैं या सियासत की डगर पर चल रहे हैं तो यह उनका अपना धर्म है। उनका जोफर्ज़ है वह अहले सियासत जानें, अपना पैगाम मुहब्बत है जहां तक पहुंचे।

एक तरफ गौर करो कि अल्लाह ने हकीकी औलिया जिनको नबुव्वत (पैगम्बर) के पद से सम्मानित किया और जो निसन्देह अपने रब के यहां सफल और सरबुलन्द हुए और रहती दुनिया तक जिनकी नेकनामी का चर्चा रहेगा, अल्लाह तआला ने उन्हें यही नहीं सबसे बड़ी फज़ीलत और इज़्ज़त दी बल्कि उनको पूरी मानवता के लिये आदर्श बना दिया और उनका उल्लेख अपनी पवित्र किताब में बार बार किया, उनकी जिन्दगी के उतार-चढ़ाव, कठिनाई व आसानी, आजमाइश और कामयाबी का वर्णन किया। वास्तव में यह आम इन्सानों और मुसलमानों के लिये एक आदर्श और पाठ था कि नबियों और नेकोकारों और इनके मुकाबले में कौमों के वाक़आत यहां तक कि आद व समूद, फिरऔन व हामान, कारून व शद्दाद और इबलीस का वर्णन भी दोहराया जाता रहा कि आने वाली कौमें उनके शिक्षाप्रद अंजाम से बाखबर हों और सज़ाओं से नसीहत पकड़ें।

शरीअत और जुम्हूरियत (लोकतंत्र)

इब्ने अहमद नक़वी

ख़लीफ़ा अमीरूल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़िअल्लाहो तआला अन्हो मिंबर पर तक़रीर कर रहे थे कि एक शख्स ने भरी सभा में उनसे पूछा कि ग़नीमत के माल से सबको एक चादर मिली थी आपको भी एक ही दी गई थी अभी जो कुर्ता आप पहने हुए हैं वह एक चादर में नहीं बन सकता क्योंकि आप लम्बे डील डोल के हैं इसलिये इसमें दो चादरें खर्च हुईं आप ने अपने हिस्से से ज़्यादा कैसे ले लिया। इस्लाम का विशाल ख़लीफा क्रोधित नहीं हुआ, अपने बेटे अब्दुल्लाह से कहा कि तुम सहीह सूरतेहाल से वाकि़फ (जानते) हो आपत्ति करने वाले को पूरी बात बताओ। अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा कि मैंने अपने हिस्से की चादर भी अपने बाप को दे दी थी ताकि वह अपना कपड़ा बना लें। लोकतंत्र की एक शर्त यह भी है कि हर साधारण और असाधारण को बिना अन्तर के न्याय मिले, इसमें अपने और ग़ैर का अन्तर न हो।

एक मुसलमान का एक यहूदी से झगड़ा हुआ बात पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास पहुंची, आपने सुनवाई करने के बाद यहूदी के हक़ में फैसला दे दिया।

हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के सामने एक मुक़दमा पेश हुआ जिसमें हिशाम बिन उमैया का शहज़ादा पक्षकार था। वह फर्श पर बैठ गया इस पर खलीफा ने इसे झिड़का और कहा अपने पक्षकार के साथ खड़े हो। सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार में अन्तर नहीं किया जाएगा।

एक शख्स ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दरबार में गुहार लगाई कि मेरी मिलकियत (स्वामित्व) में जो अराज़ी है इस पर एक कलीसा (चर्च) बना हुआ है इसे गिराने की इजाज़त दी जाए। खलीफा ने पूछा कि जब तुम ने यह जमीन खरीदी थी तो क्या उस वक़्त यह गिरजा वहां मौजूद था उसने हां में जवाब दिया। इस पर ख़लीफ़ा ने कहा कि चूंकि यह गिरजा, अराज़ी के तुम्हारी मिलकियत में आने से पहले भी मौजूद था। इसलिये अब इसे गिराया नहीं जा सकता।

दिमश्क के बाज़ मुसलमानों ने ईसाइयों के एक चर्च पर क़बज़ा कर लिया। उन्होंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से गुहार की। आपने सरकारी कर्मियों को भेज कर मुसलमानों को वहां से बेदखल कर दिया और गिरजा ईसाइयों के हवाले कर दिया गया।

अल्पसंख्यकों का कल्याण और कमज़ोरों को सहारा, लोगों को सरकारी सहायता भी लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अवामी पहलू है। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने एक बूढ़े यहूदी को देखा कि वह बाज़ार में भीख मांग रहा है आपने उस से पूछा कि तुम भीख (भिक्षा) क्यों मांग रहे हो? उसने जवाब दिया कि मुझे जिज़या अदा करना है इसलिये भीख मांग रहा हूं। खलीफा ने आदेश जारी किया कि बूढ़ों से जिज़या न लिया जाए। इसके बाद बैतुल माल (सरकारी खज़ाने) से इस यहूदी के लिये वज़ीफ़ा निधारित कर दिया ताकि वह हाथ फैलाने पर मजबूर न हो। (जरीदा तर्जुमान पाक्षिक १६-३१ मार्च २००६ के संपादकीय का उद्धरण)

इस्लाम में क़ैदियों का अधिकार

शिफाउल्लाह

इस्लाम ने अपने अनुयाइयों को यह आदेश और उपदेश दिया है कि कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, और उन्हें हर तरह के दुख से सुरक्षित रखा जाए। इस्लाम यह भी शिक्षा देता है कि मज़लूम को उसका हक़ दिलाने के लिये हर संभव प्रयास किया जाए। कुरआन में सूरे दह्र में ऐसे लोगों का विशेष रूप से ज़िक्र किया गया है जो अपना खाना ज़रूरत के बाजूद क़ैदियों को खिलाते हैं कुरआन में है ''वह लोग कैदियों को इसलिये खिलाते हैं ताकि अल्लाह की खुश्नूदी हासिल हो जाए'' (सूरे दह्र-८) यह बात याद रखने की है कि वह क़ैदियों को इस लालच में नहीं खिलाते कि उन्हें कोई बदला मिलने वाला है बल्कि हम तो तुम्हें (क़ैदियों को) केवल अल्लाह की खुशी के लिये खिलाते हैं हम तुम से कोई बदला और शुक्रगुज़ारी नहीं चाहते। (सूरे दह्र-६)

उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ फरमाते हैं ''गैर मुस्लिम कैदी का जब तक फैसला न हो जाए उसको खिलाया पिलाया जाए और अच्छी तरह रखा जाए''।

क़ाज़ी अबू यूसुफ ने ख़लीफा हारून रशीद को इस्लामी शिक्षाओं की रोशनी में निर्देश जारी किया था कि इन क़ैदियों के लिये यथास्थिति (हसबेहाल) खाने पीने का प्रबन्ध कीजिए उनका मासिक वजीफा तय कर दीजिये और किसी ऐसे ईमानदार को उनका अधिकारी नियुक्त कर दो जो तमाम कैदियों का हिसाब किताब रखे।

एक कैदी अबू उज़ैर का बयान है कि मैं जिन मुसलमानों की देख रेख में था वह स्वयं खुजूर वगैरह पर गुज़ारा कर लेते और मुझे रोटी और अच्छा खाना पेश करते थे, मुझे शर्म आती लेकिन वह आग्रह करके मुझे खिला देते और ऐसा इस लिये किया जाता था कि पैगम्बर मुहममद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने देख रेख करने वालों को हम सब कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार करने का सख्त निर्देश दे रखा था।

यह केवल कुछ उदाहरण हैं जो कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार करने के बारे में बयान किए गए हैं। इस तरह की मिसालें हदीस की किताबों में मौजूद हैं जिनसे यह पाठ मिलता है कि इस्लाम ने हर हाल में कैदियों के अधिकारों के संरक्षण और मजलूमों को अत्याचार से मुक्ति दिलाने और कैदियों के साथ शान्त स्वभाव से पेश आने की प्रेरणा दी है और मुसलमानों को इसका पाबन्द बनाया है। स्वयं पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम और आप के प्यारे साथियों (सहाबा) ने व्यवहारिक रूप से इसकी असंख्य मिसालें पेश की हैं जो आज भी इतिहास के पन्नों में सुरक्षित हैं।

लेकिन यह कितना खेदजनक (अफसोसनाक) बात है कि इन तमाम खूबियों के बावजूद इस्लाम पर यह आरोप लगाया जाता है कि उसने कैदियों को तो क्या पूरी मानवता को उसके अधिकारों से वंचित रखा है मुसलमानों पर यह भी एक निराधार आरोप है कि उसने इस्लाम के प्रचार की राह में अकारण लोगों को क़ैद किया और उन्हें सजाएं दीं लेकिन यह सब बातें तारीख़ से बेबुनियाद (निराधार) साबित हो चुकी हैं इतिहास में असल हक़ीक़त व्यवहारिक रूप से मौजूद है। इस्लाम मानव अधिकारों का रक्षक और क़ैदियों के साथ अच्छे व्यवहार का झण्डावाहक है।

❑ ❑ ❑

तौबा

सईदुर्रहमान सनाबिली

बहुत सी हदीसों में तौबा की फज़ीलत, इसकी प्रेरणा और इसकी महानता एवं महत्व को बयान किया है जिसमें कुछ हदीसें यह हैं:

उक़बा बिन आमिर रजिअल्लाहो तआला अन्हो बायन करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में एक शख्स हाज़िर हुआ और पूछा ऐ अल्लाह के पैगम्बर! हम में से किसी से कोई पाप हो जाता है? आपने फरमायाः वह उसके कर्म पत्र (नाम-ए-आमाल) में लिख दिया जाता है उसने कहा कि वह पाप से तौबा (त्याग प्रतिज्ञा) कर लेता है? आपने फरमाया उसे मआफ कर दिया जाता है और उसकी तौबा कुबूल कर ली जाती है, उसने पूछाः वह दुबारा पाप कर लेता है? आपने फरमाया वह (पाप) उसके ना-म-ए आमाल में लिखा दिया जाता है, उसने कहा वह इससे तौबा कर लेता है। आप (पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम) ने फरमाया उसे मआफ कर दिया जाता है और उसकी तौबा, कुबूल कर ली जाती है और अल्लाह तआला नहीं उकताता यहां तक कि तुम उकता जाओ। (मुस्तदरक हाकिम ७६५८ अल मोजमुल कबीर, तबरानी ७६१)

अबू हुरैरा रज़िअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया ''बेशक जब बन्दा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला बिन्दु लगा दिया जाता है जब वह इस गुनाह (पाप) को छोड़ दे और इस्तेग़फार एवं तौबा कर ले तो उसके दिल को चमका दिया जाता है और अगर वह दोबारा गुनाह करे तो उसके दिल की सियाही में इज़ाफा कर दिया जाता है यहां तक कि सियाही (कालक) उसके दिल पर छा जाती है और यही (दिलों का) वह जंग है जिस का ज़िक्र करते हुए अल्लाह तआला ने फरमाया ''हरगिज़ नहीं! बल्कि यह जो (बुरे कर्म) करते हैं उनका उनके दिलों पर जंग बैठ गया है'' (सुनन तिर्मिज़ी, ३३३४, सुनन इब्ने माजा ४२४४)

अबू मूसा अश्अरी रज़ियल्लाहो तआला अन्हो का बयान है कि नबी अकरम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह तआला रात के वक़्त अपना हाथ फैला देता है ताकि दिन के वक़्त गुनाह करने वाला तौबा कर ले और वह अपने हाथ को दिन के वक़्त फैला देता है ताकि रात को गुनाह करले वाला तौबा करले और यह सिलसिला उस वक़्त तक रहेगा जब तक कि सूरज पश्चिम से निकलने लगे। (सहीह मुस्लिम-२७५६)

अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदम की हर औलाद गुनेहगार है और बेहतरीन गुनेहगार वह है जो तौबा कर ले'' (सुनन तिर्मिज़ी, २४९९, सुनन इब्ने माजा ४२५१)

अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः अल्लाह तआला अपने बन्दे की तौबा से उस शख्स से कहीं जाता खुश होता है जिसने किसी जगह पड़ाव डाला, वहां उसकी हिलाकत की अशंका थी और इस शख्स के पास उसकी सवारी थी जिस पर उसके खाने पीने का सामान था। वह सर रख कर सो गया। जब नींद से उठा तो उसकी सवारी गुम हो चुकी थी यहां तक कि भूख और प्यास की शिददत से उसकी बुरी हालत हो गई। उसने सोचा कि मैं अपनी पहली जगह पर ही वापस चला जाता हूं, वह वापस आ कर

फिर दोबारा सो गया इस बार जब उसने सर उठाया तो देखा कि उसकी सवारी उसके पास मौजूद है। (सहीह बुखारी-६३०८)

अबू हुरैरह रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम इतना गुनाह करो कि तुम्हारे गुनाह आसमान तक पहुंच जाएं फिर तुम तौबा कर लो अल्लाह तुम्हारी तौबा कुबूल कर लेगा। (सुनन इब्ने माजा-४२४८)

इन तमाम हदीसों में तौबा की फज़ीलत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऊपर उल्लेख हदीसों में विभिन्न अन्दाज़ में तौबा के लिये प्रेरित किया गया है। और तौबा करने पर जोर दिया गया है।

कुरआन और हदीस के अनुसार तौबा की चन्द शर्तें हैं।

१. पाप हो जाने पर पश्चाताप (निदामत) व्यक्त करना। पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः निदामत ही तौबा है।

२. तुरन्त पाप से रूक जाना। अल्लाह तआला ने कुरआन में फरमायाः ''अल्लाह तआला सिर्फ उन ही लोगों की तौबा कुबूल करता है जो अज्ञानता में कोई बुराई कर गुज़रें फिर तुरन्त इससे बाज़ आ जाएं और तौबा करें तो अल्लाह तआला भी उनकी तौबा को कुबूल करता है अल्लाह तआला बड़े इल्म वाला हिकमत वाला है।'' (सूरे निसा-१७)

३. दोबारा पाप न करने का संकल्पः मआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहो तआला अन्हो एक बार अल्लाह के रसूल के पास आए और कहा ऐ अल्लाह के रसूल! तौब-ए-नुसूह क्या है? आपने फरमायाः इन्सान अपने गुनाह पर शर्मिन्दा होकर अल्लाह की बारगाह में मआफी मांगे...फिर जिस तरह दूध थनों में से निकल कर दोबारा वापस नहीं आ सकता यह भी उसी तरह इस गुनाह की तरफ न जाए।

४. अगर किसी का हक़ छीना है तो उससे मआफी मांगने या उसके अधिकार को लौटाने से तौबा कुबूल होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः अल्लाह उस बन्दे पर दया फरमाए कि जिस शख्स का जुल्म किसी दूसरे की इज़्ज़त पर या माल पर हो तो वह इसे वक़्त आने से पहले मआफ कराले कि इसकी नेकियां ले ली जाएं और अगर कोई नेक अमल उसके पास नहीं होगा तो उसके साथी (मज़लूम) की बुराइयां उस पर डाल दी जाएंगी। (सहीह बुखारी २४४६)

५. गुनाह पर इसरार (अडिग) न रहे। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है ''जब उनसे कोई नाशाइस्ता (असभ्य) काम हो जाए या कोई गुनाह कर बैठें तो तुरन्त अल्लाह का ज़िक्र और अपने गुनाहों के लिये इस्तेग़फार करते हैं निसन्देह अल्लाह के सिवा और कौन गुनाहों को मआफ कर सकता है? और वह लोग इल्म के बावजूद किसी बुरे काम पर अड़ नहीं जाते'' (सूरे आले इमरान-१३५)

६. तौबा कुबूल करने के वक़्त में होः अबू हरैरा रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जो शख्स सूरज के पश्चिम से निकलने से पहले पहले तौबा कर ले (अर्थात जल्द से जल्द तौबा कर ले) तो अल्लाह तआला उसकी तौबा को कुबूल फरमाए गा। (सहीह मुस्लिम २७०३)

एक दूसरी हदीस में है अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल (पैगम्बर) मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः ''अल्लाह तआला अपने बन्दे की तौबा उस वक़्त कुबूल करेगा जब तक हलक से गरगराहट की आवाज़ न शुरू हो जाए (सुनन तिर्मिज़ी ३५३७, इब्ने माजा ४२५३७)

७. तौबा खालिस अल्लाह के लिये होः पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः बेशक अल्लाह तआला केवल उसी अमल को कुबूल करता है जो खालिस उसकी खुशी के लिये किया जाए। (सुनन नेसई ३१४२)

❑ ❑ ❑

समता और न्याय का अधिकार

नौशाद अहमद

बराबरी का हक़ मानव अधिकार की श्रेणी में आता है। यह अधिकार दुनिया की सभी हुकूमतें देती हैं, भारत के संविधान में भी यह अधिकार दिया गया है, सबको समान अवसर, समान विकास अब एक सलोगन बन चुका है, लेकिन इसकी समीक्षा होती रही है कि जमीनी स्तर पर समता का कितना प्रभाव पड़ा है। इस्लाम धर्म एक ऐसे वक़्त में आया जहां समता, न्याय और मानव अधिकार की अवधारणा ही नहीं थी, अरब समाज के लोग खर्च के डर की वजह से अपनी औलाद को मार डालते थे, वहां के कबीलों की मानसिक स्थिति यह थी कि मामूली मामूली बातों पर वर्षों तक लड़ते झगड़ते थे, यही परिस्थिति दूसरे क्षेत्रों में भी थी, लेकिन इस्लाम ने मानव अधिकार का जो सिद्धांत संसार को दिया है वह इतिहास के पन्नों में दर्ज है, उसकी शिक्षाओं ने समता को न सिर्फ बढ़ावा दिया बल्कि एक असभ्य समाज को सभ्यता की राह दिखाई और जिस समाज के लोग समता, न्याय और अन्य मानवअधिकार से अनभिज्ञ थे वह पूर्ण रूप से मानव अधिकारों का झण्डावाहक बन गए। कुरआन ने यह कह कर हर तरह के भेद भाव को खत्म कर दिया।

''ऐ लोगो! हमने तुम सबको एक (ही) मर्द व औरत से पैदा किया है और इस लिये कि तुम आपस में एक दूसरे को पहचानो तुम्हारे कुंबे और क़बीले बना दिए हैं, अल्लाह के नज़दीक तुम सब में से बाइज़्ज़त वह है जो सबसे ज़्यादा डरने वाला है यक़ीन मानो कि अल्लाह जानने वाला और बाखबर है''

पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः लोगों तुम्हारा रब एक ही है और तुम्हारे पूर्वज एक ही हैं। खबरदार! न किसी अरबी को अजमी पर, न किसी अजमी को अरबी पर, न किसी काले को गोरे पर और न किसी गोरे को काले पर कोई वरियता प्राप्त है सिवाए तक़वा के। (बैहक़ी बहवाला अत तरग़ीब वत तरहीब, मुंजरी ५३६)

क़ुरआन ने फरमाया

'' ऐ लोगो अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी को पैदा करके इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दीं, उस अल्लाह से डरो जिसके नाम पर एक दूसरे से मांगते हो और रिश्ते नाते तोड़ने से बचो, बेशक अल्लाह तुम पर निगेहबान (संरक्षक) है'' (सूरे निसा-१)

क़ुरआन ने यह सन्देश दिया है कि जब इन्सान की हैसियत से सब बराबर हैं तो फिर उनके बीच भेदभाव करना कहां का इन्साफ है। इन्सान केवल अपने अच्छे कर्मों की वजह से ऊंचा स्थान प्राप्त करता है, कोई भी केवल दौलत और ताक़त के आधार पर बड़ा नहीं होता, इन्सान को उसका अच्छा कर्म बड़ा बनाता है, सत्कर्म ही इन्सान को बुलन्दियों पर ले जाता है, और हर इन्सान परलोक में भी अपने कर्म के अधार पर ही सफल होगा। इसलिये हर इन्सान को अन्तर का आधार केवल सत्कर्म को बनाना चाहिए, समता

यही है कि सबको इन्सान की हैसियत से सम्मान दिया जाए, उसके अधिकारों को अदा किया जाए, दुनिया का हर इन्सान हमदर्दी, सदभावना, और दया का पात्र है उसका सबंन्धा किसी भी जगह या समाज से हो, वह हर हाल में समता और न्याय का अधिकार रखता है इसी को अपना कर समाज और देश को एक विकसित समाज बनाया जा सकता है।

कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है।

''अल्लाह तआला तुम्हें ताकीदी हुक्म देता है कि एमानत वालों को एमानतें उन्हें पहुंचाओ, और जब लोगों का फैसला करो तो अद्ल व इन्साफ से फैसला करो''। (सूरे निसा-५८)

इस्लाम में जान की सुरक्षा, माल की सुरक्षा, सम्मान की सुरक्षा को अनिवार्य क़रार दिया गया है। इसमें छोटे बड़े का कोई अन्तर नहीं है, मालदार और गरीब के बीच कोई अन्तर नहीं है। इन्सान की हैसियत से सब बराबर हैं। यही वजह है कि इस्लाम ने एक निर्दोष की हत्या को पूरी मानवता की हत्या के समान क़रार दिया है। कुरआन स्पष्ट शब्दों में कहता है ''इसी वजह से हमने बनी इस्राईल पर यह लिखा दिया कि जो शख़्स किसी को बग़ैर इसके कि वह किसी का कातिल हो या ज़मीन में फसाद मचाने वाला हो, कत्ल कर डाले तो गोया उसने तमाम लोगों को कत्ल कर दिया और जो शख़्स किसी एक की जान बचा ले उसने गोया तमाम लोगों को जिन्दा कर दिया। (सूरे माइदा-३२)

मानव सम्मान का यह आदर्श मिसाल है जिस पर अमल करके समाज में फैले हर तरह के भेदभाव को ख़त्म किया जा सकता है।

❑ ❑ ❑

पाठक गण ध्यान दें

1-जल्द से जल्द बकाया राशि भेज दें। 2-अगर आपको हर महीने की 5 तारीख को पत्रिका न मिले तो इसके बारे में कार्यालय को सुचित करें। न मिलने की सूरत में दूसरी कापी भेजी जायेगी, लेकिन शिकायत करने से पहले अपने नजदीकी डाकखाने पर जानकारी हासिल कर लें। 3-नये खरीदारों से अनुरोध है कि अपने पते में फोन नम्बर अथवा मोबाइल नम्बर और पिन कोड भी लिखें। 4-पुराने खरीदारों से अपील की जाती है कि यदि उनका कोई फोन नम्बर या मोबाइल नम्बर हो तो पोस्ट कार्ड पर या फोन के जरिये अपने खरीदारी नम्बर का हवाला देकर अवश्य भेज दें ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे सम्पर्क किय जा सके। 5- मनी आर्डर या हमारे प्रतिनिधियों के माधयम से पत्रिका के सदस्य बनने वालों को यह सूचित किया जाता है कि रसीद कटवाने के बाद दूसरे महीने ही में पत्रिका भेजी जायेगी। 6- किसी भी तरह की शिकायत के लिये इस नम्बर पर संपर्क करें। 7. नए और पुराने सदस्यों से अुनरोध है कि नक़द पैसा कोरियर और जनरल डाक से न भेजें। इसलाहे समाज के बारे में किसी भी तरह की शिकायत के लिये 3 बजे से 5 बजे तक फून करें। 011-23273407

रिश्तों को मज़बूत बनाएं

समाजी ज़िन्दगी में रिश्तों की बड़ी अहमियत है, रिश्ते नातों को जोड़े रखना पुण्य का काम होने के साथ समाजी रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। कुरआन और हदीस में रिश्तों को मजबूत और सुगम बनाने के लिये कुछ सिद्धांत और तरीक़े बताएं गए हैं जिन को अपना करके हम समाजी रिश्तों को खुश्गवार बना सकते हैं। अफसोस है कि हम लोग इससे गाफिल हैं। निम्न पंक्तियों में कुरआन व हदीस की उन शिक्षाओं का उल्लेख किया जा रहा है जो हमारे आपसी संबन्ध को मज़बूत बनाते हैं।

एक दूसरे को सलाम करो (सहीह मुस्लिम-५६)

एक दूसरे से मुलाकात करते रहें। (सहीह मुस्लिम)

एक दूसरे को तोहफे दिया करें (सहीहुल जामे-३००६)

अगर दावत दी जाए तो कुबूल करें। (सहीह मुस्लिम २१६२)

अगर मेहमान आएं तो तो उनकी मेहमाननवाज़ी करें। (तिर्मिज़ी २४८५)

बड़ों की इज़्ज़त करें। सुनन अबू दाऊद ४६४३ सुनन तिर्मिज़ी १६२०)

छोटों पर दया करूणा करें। (सुनन अबू दाऊद ४६४३६ सुनन तिर्मिज़ी १६२० सहीह)

रिश्ते दारों की खुशी और गम में शरीक हों। (सहीह बुखारी ६६५१)

अगर किसी काम में मदद की ज़रूरत हों तो उनके काम में उनकी मदद करें। (सहीह बुखारी ६६५७)

एक दूसरे के शुभचिंतक बनें (सहीह मुस्लिम ५५)

अगर नसीहत तलब की जाए तो नसीहत करें (सहीह मुस्लिम २१६२)

एक दूसरे से मश्वरा करें (सूरे आले इमरान-१५६)

एक दूसरे की गीबत न करें (सूरे हुजुरात-१२)

एक दूसरे पर लान तअन (लांक्षन) न करें (सुरे हमज़ह-१)

पीठ पीछे बुराइयां न करें (हमजह-१)

एक दूसरे की तकलीफों को दूर करें (सुनन अबू दाऊद ४६४६, सहीह)

एक दूसरे पर दया करें (सुनन तिर्मिज़ी १६२४, सहीह)

दूसरों के लिये लाभदायक बनने की कोशिश करें। (सहीहुलजामे ३२८६, हसन)

सम्मान से बात करें, बात करते वक़्त सख्त लहजे (शैली) से बचें (आले इमरान-१५६)

गुस्से को कन्ट्रोल में रखें (सहीह बुखारी-६११६)

प्रतिशोध (इन्तेक़ाम) लेने से बचें (सहीह बुखारी ६८५३)

किसी को हक़ीर न समझें (सहीह मुस्लिम ६१)

अगर कोई बीमार हो तो उसकी इयादत (हाल चाल मालूम) करने जाएं। (तिर्मिज़ी ६६६, सहीह)

अगर किसी का इन्तेक़ाल हो जाए तो जनाज़े में शिर्कत करें। (सहीह मुस्लिम २१६२)

(संकलित)

इस्लाम में पड़ोसियों के अधिकार

फुवाद अब्दुल अजीज अश्शलहूब

कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमायाः

''अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक (साझी) न करो और मां बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो (न केवल माता पिता से बल्कि) निकट संबन्धियों, अनाथों और मिस्कीनों और नजदीक और दूर के पड़ोसियों से और साथ वालों और मुसाफिरों और गुलामों के साथ अच्छा व्यवहार करो। (सामर्थ होने के बावजूद सृष्टि के साथ भलाई न करना एक प्रकार से घमण्ड है और) अल्लाह घमण्ड करने वालों, इतराने वालों से मुहब्बत नहीं किया करता'' (सूरे निसा-३६)

पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः ''जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे बराबर पड़ोसियों के बारे में वसिय्यत करते रहे यहां तक कि मैं सोचने लगा कि अनकरीब उसको वारिस बना दिया जाएगा''। (सहीह बुखारी ६०१४)

निकट संबन्धी पड़ोसी के दो हक़ (अधिकार) हैं एक रिश्ते नाते दारी होने का और दूसरा पड़ोसी होने का। दूर के पड़ोसी का केवल पड़ोसी होने का हक़ है और दोनों का मान-सम्मान करना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए और उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आइशा रज़ियल्लाहो तआला अन्हा की हदीस में पड़ोसी के हक़ में जोर दिया गया है। आप फरमाती हैं कि पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे बराबर पड़ोसी के बारे में वसिय्यत करते रहे यहां तक कि मैं सोचने लगा कि अनकरीब उसको वारिस बना दिया जाए गा। (बुखारी-६०१४)

हाफिज़ इब्ने हजर कहते हैं कि अबू मुहम्मद बिन हमज़ा ने कहा है कि इस हदीस से मालूम होता है कि पड़ोसी के बारे में जो आदेश आया है इसका आज्ञापालन करते हुए यथाशक्ति पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए जैसे तोहफा, सलाम भेज कर और मुलाकात के वक़्त सुगम तरीके से मिल कर, हाल चाल मालूम करके और ज़रूरत पर उसका सहयोग करके और इसके अलावा दूसरे तरह की भलाई करके करना चाहिए चाहे अपने अच्छे व्यवहार से या आर्थिक तौर पर मदद करके। (फतहुलबारी १०/४५६)

अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया ''अल्लाह तआला के नज़दीक नेक लोग वह हैं जो अपने साथियों के लिये नेक (अच्छे) हों और अल्लाह के नज़दीक बेहतर पड़ोसी वह लोग हैं जो अपने पड़ोसी के लिये बेहतर हों'' (तिर्मिज़ी १६४४, मुसनद अहमद ६५६६, दारमी २४३७)

वह पड़ोसी जो सबसे ज़्यादा करीब हो तो उसके अधिकार दूर वाले पड़ोसी से ज़्यादा है। हज़रत आइशा रज़ियल्लाहो तआला अन्हा

ने पूछा ऐ अल्लाह के पैगम्बर (रसूल) मेरे दो पड़ोसी हैं मैं उनमें से किस को तोहफा दूं तो पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनमें से जिसे का दरवाज़ा तुम से ज़्यादा करीब हो (बुखारी ६०२०, मुसनद अहमद २४८६५, अबू दाऊद ५१५५)

किसी के लिये अपने पड़ोसी को किसी भी तरह का दुख देना हलाल नहीं है जैसा कि पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जो शख्स अल्लाह और परलोक के दिन पर ईमान रखता है तो वह अपने पड़ोसी को दुख न दे। (बुखारी ६०१८, मुस्लिम ४७, मुसनद अहमद ५७७१)

पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने तीन बार क़सम खा कर फरमाया ''अल्लाह की क़सम वह मोमिन (मुसलमान) नहीं हो सकता तो आप से कहा गया कौन मोमिन नहीं हो सकता? तो पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके अत्याचार और बुराई से उसका पड़ोसी सरक्षित न हो''। (बुखारी ६०१०)

अबू हुरैरह रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जिसकी बुराई व अत्याचार से उसका पड़ोसी सुरक्षित न हो'' (मुस्लिम ६६)

अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा पाप क्या है तो आपने फरमाया कि सब से बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक (साझी) ठेहराओ जबकि उसने तुम को पैदा किया है तो मैंने कहा कि निसन्देह यह बहुत बड़ा पाप है मैंने फिर पूछा कि कौन सा काम महा पाप है तो पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औलाद को इस डर से मार डालना कि वह तुम्हारे साथ खाएगी मैंने फिर पूछा कि कौन सा काम महा पाप है तो आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पड़ोसी की बीवी से व्यभिचार (ज़िना) करना'' (बुखारी, ४४७७, मुस्लिम ८६, मुस्नद अहमद ४०६१, तिर्मिज़ी ३१८२, नेसई ४०१३, अबू दाऊद २३१०)

अबू हुरैरह रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि एक आदमी पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास आया और अपने पड़ोसी की शिकायत करने लगा तो आपने कहा जाओ और सब्र करो वह आप के पास दो या तीन बार आया, इसके बाद पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ अपना सामान रास्ते में डाल दो तो इस आदमी ने आकर अपना सामान रास्ते में डाल दिया फिर लोग आकर इससे पूछते तो वह लोगों को अपनी बात बताता जिससे लोग उसके पड़ोसी को लानत करने लगे कि अल्लाह उसके साथ ऐसा करे वैसा करे, इसके बाद पड़ोसी इसके पास आया और उससे कहा कि लौट चलो तुम मेरी तफ से अप्रिय चीज़ नहीं देखोगे, (अबू दाऊद ५१५३, अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सहीह कहा है)

❑ ❑ ❑

नशीले पदार्थ का नुक्सान

शफी मुहम्मद एडवोकेट

मादक पदार्थों और शराब नोशी के बारे में इस्लाम का दृष्टि कोण बिल्कुल स्पष्ट है।

पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया ''हर नशा पैदा करने वाली चीज़ हराम है''। आपने फरमायाः ''अल्लाह ने लानत की है शराब पर, पीने वाले पर, खरीदने वाले पर, निचोड़ने वाले पर, जिसके लिये निचोड़ी जाए उस पर, उठाने वाले पर, जिस की तरफ उठा कर ले जाई जाए उस पर और क़ीमत खाने वाले पर'' (सुनन अबू दाऊद)

हज़रत उमर रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है ''जो शख़्स अल्लाह और परलोक के दिन पर यक़ीन रखता हो उसे चाहिए कि वह किसी ऐसे दस्तरख़ुवान पर न बैठे जिसमें शराब पी जा रही हो। (मुसनद अहमद)

अब रहा दवा के तौर पर शराब का स्तेमाल तो पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने एक व्यक्ति के पूछने पर मना फरमायाः

''शराब दवा नहीं बल्कि बीमारी है'' (मुस्लिम अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, मुसनद अहमद)

और यह भी फरमायाः

''अल्लाह ने बीमारी और एलाज दोनों उतारा है और तुम्हारे लिये बीमारी का एलाज भी रखा है इस लिये एलाज करो लेकिन हराम चीज़ से एलाज न करो'' (अबू दाऊद)

शैखुल इस्लाम अल्लामा इब्ने तैमिया रह० फरमाते हैंः

''यह हशीश (गाज़ा) हराम है चाहे इसमें नशा हो या न हो...यह अपने लक्षण की वजह से नशीली शराब की सूचि में दाख़िल है। शराब में उत्तेजना होता है और लड़ाई की भावना पैदा करती है और गाज़ा अक्ल में फ़ुतूर (विकृति) पैदा करके अपमान और रूसवाई का कारण बनती है इसके अलावा यह अक़्ल और आदत में ख़राबी पैदा करने का भी कारण बनती है और व्यभिचार की तरफ मायल करके बेहयाई का कारण बनती है। इन ख़राबियों की वजह से गाज़ा नशीली शराब से भी गिरी हुई खराब चीज़ है''। (फतावा इबने तैमिया भाग ४ पृष्ठ २६३)

इस्लामी शरीअत (कानून) का एक साधारण सिद्धांत है कि इन्सान के लिये ऐसी चीज़ खाना पीना जायज़ नहीं जो तुरन्त या धीरे धीरे उसको हिलाक कर दे।

क़ुरआन में अल्लाह ने फ़रमायाः

''और अपने आप को हिलाक न करो बेशक अल्लाह तुम पर मेहरबान है''। (सूरे निसा-२६)

और फरमायाः

''और अपने हाथों अपने आप को हिलाकत में न डालो'' (सूरे बक़रा-१६५)

पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ अपनी तमाम शकलों के साथ नाजायज़ है'' (मुसनद अहमद, इब्ने माजा)

उपर्युक्त सिद्धांतों की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि तम्बाकू अगर स्तेमाल करने वाले के लिये हानिकारक साबित हो रही है तो हराम है, तम्बाकू और इस जैसी चीज़ों के स्तेमाल करने में फुज़ूल खर्ची है जिसमें न दीन का कोई

फयादा है और न दुनिया का।

डाक्टरों के रिसर्च के अनुसार हर नशीली चीज़ सेहत के लिये अत्यन्त हानिकारक है इसमें हर प्रकार के गुटखे, कोकीन, गाज़ा, स्मेक, शराब, सिगरेट, बीड़ी, हुक्क़ा तम्बाकू सभी चीज़ें शामिल हैं। इन चीज़ों में निकोटीन होती है जो कैन्सर जैसी घातक बीमारी पैदा करती है और इन नशीले पदार्थों के स्तेमाल से गुर्दे बेकार हो जाते हैं, टी.वी. हो जाती है और सांस की समस्या उत्पन्न हो जाती है।

अगर हम चाहते हैं कि बच्चे नेक और बेहतर नागरिक बनें और किसी खुराफात में लिप्त न हों तो बच्चों के जवान होने से पहले ही उनका सहीह तौर से प्रशिक्षण करें और हमारी हुकूमतों को भी नशीले पदार्थों को खतम करना हो गा ऐसा करके ही हम एक पवित्र और बेहतर समाज की कल्पना कर सकते हैं। इस सिलसिले में इस्लामी सिद्धांत हमारा मार्ग दर्शन कर सकते हैं।

(प्रेस रिलीज़)

प्रसिद्ध प्रशिक्षक एवं शिक्षक मौलाना अब्दुर्रकीब रह० की बीवी और मौलाना मुहम्मद अहमद सलफी की माँ का इन्तेकाल

दिल्ली-३ दिसम्बर २०१६ ई०

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द से जारी एक अखबारी बयान में मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अमीर मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी ने प्रादेशिक जमीअत अहले हदीस पूर्वी यू.पी के पूर्व सचिव मौलाना अब्दुल कादिर अनवर बस्तवी के छोटे भाई प्रसिद्ध प्रशिक्षक व शिक्षक और इस्लामी स्कालर मौलाना अब्दुर्रकीब रह० सेमरावी की अहलिया (बीवी) और मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के कार्यकर्ता मौलाना मुहम्मद अहमद सलफी की मां के अचानक इन्तेकाल पर गहरे रंज व गम और अफसोस का इज़हार किया है और पसमादगान एवं संबन्धियों से हार्दिक शोक किया है। मौलाना अब्दुर्रकीब सेमरावी मरहूम की अहलिया जिनका कल २ दिसम्बर २०१६ को लगभग चार बजे शाम उत्तर प्रदेश की बस्ती सेमरा में ७० साल की आयु में इन्तेक़ाल हो गया। वह नेक खुश अख़लाक और नमाज़ रोज़े की पाबन्द खातून थीं। उन्होंने अपने बच्चों की अच्छी तर्बियत की। आज जुहर की नमाज़ के बाद सेमरा सिद्धार्थ नगर यूपी के कब्रस्तान में उनकी तदफीन अमल में आई। मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस के अमीर मोहतरम मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी ने जनाज़े की नमाज़ पढ़ाई। जनाज़ में ज़िल्ई जमीअत सिद्धार्थनगर, सूबाई जमीअत अहले हदीस पूर्वी यूपी और मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के जिम्मेदारान के अलावा दीनी मदारिस व जामियात, ओलमा, जिम्मेदारान, खतीब हज़रात और अवाम की बड़ी तादाद ने शिर्कत की पसमांदगान में मौलाना मुहम्मद अहमद के अलावा तीन बेटे मुहम्मद खान, मुहम्मद अरशद खान, असअद खान, दो बेटियां और कई पोते पोतियां हैं। अल्लाह तआला उनकी मगफिरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। पसमांदगान खास तौर से मौलाना मुहम्मद अहमद सलफी, उनके भाइयों, बहनों और सभी रिश्तेदारों को सबरे जमील की तौफीक दे।

प्रेस रिलीज़ के अनुसार मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के महा सचिव, कोषाअध्यक्ष और अन्य तमाम जिम्मेदारान और कार्यकर्ता भी मौलाना मुहम्मद अहमद सलफी, इनके भाइयों बहनों और रिश्तेदारों के गम में बराबर के शरीक हैं और मरहूमा की मग्फिरत के लिये दुआ की है।

जारी कर्ता

मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द

मिलावट : महा पाप

मुहम्मद फारूक सलफी

आम तौर से किसी कीमती चीज़ में किसी ससती चीज़ को मिलाने को मिलावट कहते हैं। मिसाल के तौर पर दूध में पानी मिलाना, खालिस देसी घी में चर्बी आदि मिलाना, मिलावट की कोई भी किस्म या तरीक़ा हो इसका मक़सद नाजायज़ मुनाफा कमाना होता है। मिलावट करने वाला लालच में अंधा हो जाता है और दौलत कमाने की हवस उसे ऐसे करने पर उकसाती है। मिलावट कई बुराइयों को जन्म देती है।

१. दूसरों को धोका देना २. बैमानी ३. झूठ, ४. हराम खोरी ५. और दूसरों की सेहत को बर्बाद करना।

इस्लाम धर्म में इनमें किसी का भी करना महा पाप है। पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जिसने हमसे धोका किया वह हम (मुसलमानों) में से नहीं (सही मुस्लिम ५)

इस हदीस में उपदेश दिया गया है कि लेन देन के मामलात खरीदने और बेचने में अमानतदारी को अपनाओ, धोके का मामला न करो। हदीस में आता है कि एक बार पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम गेहूं के एक दुकानदार के पास से गुज़रे वहां गेहूं की एक ढ़ेर लगी हुई थी आपने उसके अन्दर अपना हाथ डाला तो आप की उंगलियों को तरावट पहुंची यानी नीचे गेहूं भीगा हुआ था आपने दुकारनदार से पूछा यह क्या है? उसने जवाब दिया बारिश की वजह से गीली हो गई है। पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः तुम ने गीला हिस्सा ऊपर क्यों नहीं रखा ताकि लोग इसे देख लेते जिस ने मुझे धोका दिया उसका मुझसे कोई संबन्ध नहीं (सहीह मुस्लिम) धोका धड़ी की कई शकलें हैं जैसे कि नाप तौल में इस अन्दाज़ से कमी करना कि देखने वाले को पता न चले, झूठी क़सम खा कर ग्राहक को धोका देना, ग्राहक को असल कीमत से कई गुना ज़्यादा कीमत बतला कर उससे कीमत लगवाना, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करना, मश्हूर मार्का और ब्राण्ड से मिलती जुलती चीज़ बनाना या बेचना। तिजारत और कारोबार में मिलावट या धोका धड़ी की जितने भी तरीक़े हैं वह सब अवैध हैं, तिजारत साफ सुथरी और निष्ठा एवं ईमानदारी पर आधिारित होनी चाहिए जिसके बारे में न झूठ बोला जाए और न धोका धड़ी की जाए।

यह बात ज़ेहन में रखनी चाहिए कि किसी चीज़ में मिलावट करने से चीज़ ऐबदार हो जाती है और कोई ऐबदार चीज़ बेचना जायज़ नहीं जब तक खरीदने वाले को उसकी ख़ामी और ऐब को न बता दिया जाए। इसी तरह मिलावट के ज़रिए माल कमाना नाजायज़ है और नाजायज़ जरिये से कमाया हुआ माल बिल्कुल हराम है।

मालूम हुआ कि मिलावट एक बदतरीन गुनाह है।

मिलावट कानूनन भी जुर्म है ऐसे अपराध की रोकथाम उसी सूरत में हो सकती है जब कानून को पूरी इच्छा शक्ति से लागू किया जाए और मिलावट का कारोबार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि हमारा समाज दुरूस्त हो सके।

अल्लाह सबको धोकाधड़ी से बचाए।

❑ ❑ ❑

न्याय पूर्ण गवाहियाँ

जर्मनी का कवि **'गोयटे'** कहता है: मैंने इतिहास में इस मानवता के लिए सर्वश्रेष्ठ आदर्श ढूँढा तो उसे अरबी पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम में पाया।

प्रोफेसर 'कीथ मोरे' अपनी किताब (The Developing Human) में कहते हैं: मुझे यह बात स्वीकारने में कोई कठिनाई नहीं होती कि कुरआन अल्लाह का कलाम (कथन) है, क्योंकि कुरआन में जनीन (भ्रूण) के जो विवरण दिये गए हैं उनका सातवीं शताब्दी की वैज्ञानिक जानकारी पर आधारित होना असम्भव है। एक मात्र उचित परिणाम (निष्कर्ष) यह है कि यह विवरण मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की ओर से वह्य (ईश्वाणी) किये गये थे।

वोल देवरान्त अपनी किताब ''सभ्यता की कहानी'' भाग-११ में कहता है: अगर हम किसी की महानता की कसौटी इस बात को बनाएं कि उस महान पुरूष का लोगों के बीच कितना प्रभाव है, तो हमें कहना पड़ेगा कि मुसलमानों के पैग़म्बर इतिहास के महान पुरूषों में सबसे महान हैं। आपने तअस्सुब (पक्षपात) खुराफात (मिथ्यावाद) को लगाम दिया।

जार्ज डी तोल्ज़ अपनी पुस्तक ''जीवन'' में कहता है: मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईश्दूत (पैग़म्बर) होने में संदेह करना दरअसल ईश्वरीय शक्ति में संदेह करना है जो सर्व संसार में फैली हुई है।

वैज्ञानिक वील्ज़ अपनी किताब ''सत्य पैग़म्बर'' में कहता है पैग़म्बर की सच्चाई का सबसे स्पष्ट प्रमाण यह है कि उनके घर वाले और उनके सबसे क़रीबी लोग उन पर सबसे पहले ईमान लाये। वह लोग उनके सारे भेदों को जानते थे, अगर उन्हें आप की सच्चाई के बारे में कुछ संदेह होता तो वे आप पर ईमान न लाते।

मुसूतशिरक़ हील अपनी किताब ''अरब की सभ्यता'' में कहता है: मानव इतिहास में हम कोई धर्म नहीं जानते जो इतनी तेज़ी से फैला और दुनिया को बदल डाला हो जिस प्रकार इस्लाम ने किया है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उम्मत (समुदाय) को वजूद में लाए धरती पर अल्लाह की उपासना का सिक्का जमा दिया, न्याय और समाजी बराबरी की नीव रखी और ऐसे लोगों में व्यवस्था, प्रबन्ध, आज्ञापालन और प्रतिष्ठा एवं सम्मान स्थापित कर दिया जो कुप्रबंध और दुर्व्यवस्था के सिवा कुछ नहीं जानते थे।

हस्पानवी मुसूतशरिक़ जान लीक अपनी किताब ''अरब'' में कहता है मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के जीवन की विशेषता का वर्णन इस से बेहतर कोई नहीं कर सकता जिस विशेषता का वर्णन अल्लाह ने अपने इस फर्मान के द्वारा किया है:

''हमने आप को सर्व संसार वालों के लिए रहमत (कृपा और दया) बनाकर भेजा है''। (सूरतुल अम्बिया १०७)

मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम सच-मुच रहमत थे, मैं उन पर शौक़ और उत्सुकता से दरूद भेजता हूं। **बर्नार्ड शा** अपनी किताब ''इस्लाम सौ साल के बाद'' में कहता है: पूरी दुनिया शीघ्र ही इस्लाम को स्वीकार कर लेगी। अगर वह उसे उसके स्पष्ट नाम के साथ स्वीकार न करे तो उसे मुस्तआर (किसी दूसरे) नाम से अवश्य स्वीकार करेगी। एक दिन ऐसा आएगा कि पश्चिम के लोग इस्लाम धर्म को गले से लगाएंगे। पश्चिम पर कई सदियां गुज़र चुकी हैं और वह इस्लाम के संबंध में झूठ से भरी हुई किताबें पढ़ता चला आ रहा है। मैंने मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के बारे में एक किताब लिखी थी किन्तु अंग्रेज़ी की रीतियों और परम्पराओं से हट कर होने के कारण वह ज़ब्त कर ली गई। ''अल्लाह के पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम, लेखक: अब्दुर्रहमान अश-शीहा'' से साभार

❑ ❑ ❑

बच्चों के प्रशिक्षण का तरीक़ा

डा० सालेह बिन फौज़ान

इस्लाम धर्म ने बच्चों और नौजवानों के प्रशिक्षण और पालन पोषण पर विशेष ध्यान दिया है क्योंकि यही भविष्य के निर्माता हैं, यही अपने पूर्वजों के उत्तराधिकारी होंगे और व्यवहारिक जीवन में अपनी भूमिका निभाएंगे।

पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं का एक बड़ा हिस्सा नौजवानों और बच्चों की शिक्षा और प्रशिक्षण पर आधारित है। एक अवसर पर पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़िअल्लाहो अन्हो से फरमायाः ऐ बच्चे मैं तुम्हें चन्द बातें सिखाता हूं। तुम अल्लाह को हमेशा याद करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाज़त फरमाएगा अल्लाह को तुम याद रखोगे तो तुम उसे अपने सामने पाओगे, जब तुम मांगो तो अल्लाह से मांगो, जब तुम मदद चाहो तो अल्लाह से मदद मांगो। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहो तआला अन्हो आपके गधे पर पीछे सवार थे इसी हालत में आप (पैगम्बर) मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उनसे कहाः ऐ मुआज़ क्या तुम ज़ानते हो कि अल्लाह का बन्दों पर क्या अधिकार है और बन्दों का अल्लाह पर क्या हक़ है? उमर बिन सलमा नन्हे बच्चे थे और आप के पालित पोषित थे जब वह आपके साथ खाना खाते और उनका हाथ पलेट में इधर उधर फिरता तो उनका हाथ पकड़ कर कहते ऐ बच्चे अल्लाह का नाम लो और अपने दाएं हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ'' यह बच्चों के लिये पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की शिक्षाएं हैं ताकि उनके दिलों में शिष्टाचार बैठ जाए। इस से नौजवानों की अहमियत और बड़ों की ज़िम्मेदारी उजागर होती है।

इस्लाम ने नौजवानों पर विशेष ध्यान दिया है जब वह अच्छा बुरा समझने लगें तो उनके प्रशिक्षण का एहतमाम किया जाए और उसी वक़्त से दीनी बातों की उनमें रूचि पैदा की जाए। पैगम्बर मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बच्चे सात साल के हो जाएं तो उनको नमाज़ का हुक्म दो और जब दस साल के हो जाएं तो नमाज़ के लिये उन्हें मारो और उनका बिस्तर अलग कर दो। यानी सोने के लिये अलग प्रबन्ध किया जाए।

बच्चों पर विशेष ध्यान देने की बात इस हक़ीक़त से भी स्पष्ट होती है कि अल्लाह तआला ने लड़कों को हुक्म दिया कि जब मां बाप बुढ़ापे को पहुंच जाएँ अपने मां बाप या उनमें से किसी को जीवित पाए तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करे और अपने बचपन को याद करें जब मां बाप ने उनका पालन पोषण किया। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है ''अगर मां बाप में से कोई एक या दोनों तुम्हारी ज़िन्दगी में बुढ़ापे की उम्र तक पहुंच जाएं (और उनकी ख़िदमत का बोझ तुम पर आ पड़े) तो उनकी किसी बात पर उफ न करो यानी कोई बात कितनी ही नागवार गुज़रे मगर जुबान पर शिकायत न हो और न तेज़ी में

आकर झिड़कने लगो उनसे बात चीत सम्मान और अदब के साथ करो, उनके हक़ में हमेशा दुआ करो कि ऐ परवरदिगार जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा और बड़ा किया तो इसी तरह तू भी उन पर दया कर'' मां बाप का प्रशिक्षण उनके बच्चों के लिये नेमत और भलाई है और औलाद के लिये अनिवार्य है कि इस अच्छे व्यवहार का अच्छा बला दें, यहां प्रशिक्षण का अर्थ आहार उपलब्ध करना ही नहीं बल्कि भलाई की तर्बियत (प्रशिक्षण) है जिस से औलाद की प्राकृति की सुरक्षा होती है और भलाई की राह मिलती है। दूसरों के साथ भलाई का एहसास पैदा होता है।

अल्लाह तआला से दुआ है कि हमें सामर्थ और शाक्ति दे, मुसलमानों के हालात को सुधार दे, मुस्लिम नौजवानों की इस्लाह कर दे, मुसलमानों के लिये उनके मक़ाम व मर्तबा को वापस कर दे और उनके हालात को बदल दे, मुसलमानों को दीन की समझ दे, उनको और पूरी मानवता को हर प्रकार की बुराई से सुरक्षित रखे।

अहले हदीस कम्पलैक्स और अहले हदीस मंज़िल के दोनों इतिहासिक और महान निमार्ण कार्यों के सिलसिले में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल विभिन्न राज्यों के दौरे पर। इन्शाअल्लाह

जमाअती मित्रों और कौम व मिल्लत के शुभचिंतकों को मालूम है कि अहले हदीस कम्पलैक्स ओखला नई दिल्ली और अहले हदीस मंज़िल जामा मस्जिद दिल्ली में दो भव्य तारीखी बिलडिंगों के निमार्ण का काम जारी है। इस सिलसिले में अल हम्दुलिल्लाह अहले हदीस कम्पलैक्स के महान निमार्ण प्रोजेक्ट की दूसरी मंज़िल की ढ़लाई का काम होने वाला है और उर्दू बाज़ार में अहले हदीस मंज़िल की तीसरी मंज़िल के निमार्ण का काम मुकम्मल हुआ चाहता है जो अल्लाह के फ़ज़्ल व तौफीक़ के बाद जमाअत व जमीअत के मोहसिनीन की सखावत व दानवीरता की देन है। अधिकृत सहयोग के लिये जमाअत के अहबाब सूबाई जमीअतों से तनसीक़ के बाद मस्जिदों में बाजाबता और मुसलसल एलान फरमायें। जल्द ही मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल आप की ख़िदमत में हाज़िर हो रहा है। इस महान और तारीखी खैर के काम में अपना भर पूर हिस्सा और रोल अदा करके पुण्य के पात्र बनें।

नोटः- इस सिलसिले में संबन्धित राज्यों के पदधारियों और ज़िम्मेदारान को सूचना कर दी गयी है।

MARKAZI JAMIAT AHLE HADEES HIND
A/c: 629201058685
ICIC Bank (Chandni Chowk Branch)
RTGS/NEFT IFSC Code-ICIC0006292

सदाचार इस्लाम की रोशनी में

बी. ख़लील अहमद उमरी मदनी

अल्लाह तआला ने इन्सान को पूरी सृष्टि में श्रेष्ठ बनाया और पैदा किया है। सीधे मार्ग पर चलने के लिये पवित्र कुरआन अवतरित किया है जो सरासर मार्गदशन और रहमत है। जिस तरह अल्लाह के आदेशों पर अमल करने से लोक परलोक में कामयाबी और बर्कत हासिल होती है उसी तरह सदाचार और अच्छा चरित्र अपनाने से ऊंचा मर्तबा और स्थान प्राप्त होता है।

इस्लाम के नज़दीक, सचादार, सच्चाई, एमानतदारी, हक़ बात बोलना, कठिनाइयों में सब्र करना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना सत्य को पसन्द करना और सत्य पर चलना, ज़िन्दगी के कर्मों में भलाई के पहलू को मददे नज़र रख कर चलने का नाम सदाचार है और अच्छे चरित्र को अपना कर ही हर इन्सान ऊंचे मर्तबे तक पहुंच सकता है।

दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना एक मुसलनान की पहचान है। हर एक से अच्छा व्यवहार करना, घमण्ड और अहंकार से दूर रहना, बदला न लेना, मआफ कर देना, नर्मी, और शांत स्वभाव जैसी आदतों को अपनाने का नाम ही सदाचार है।

अल्लाह के साथ हमने जो संधि (मुआहिदा) किया है यानी अल्लाह ने जिन बातों और कामों से रोका है उनसे दूर रहें और जिन कामों के करने का हुक्म दिया है खुले दिल से कुबूल करके फराइज़ और वाजिबात पर अमल करें। इन्सान की परलोक में मुक्ति केवल नमाज़, रोज़े हज व ज़कात पर निर्भर नहीं बल्कि मामले की दुरूस्तगी पर भी है। सच्ची बात कहे, इन्साफ पर काइम रहे, हराम कमाई न खाए। मुहताजों और ज़रूरत मन्दों को खिलाए। पैगम्बर मुहम्मद स० ने फरमाया मोमिनों में सबसे मुकम्मल ईमान वाला वह शख्स है जिसकी आदतें और स्वभाव अच्छे हों। पैगम्बर मुहम्मद स० के दुनिया में नबी बना कर भेजे जाने का एक मक़सद यह भी था कि सदाचार और अच्छे चरित्र की तकमील (पूरा) हो जाए।

अली रज़ियल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अच्छे स्वभाव एवं सदाचार बेहतरीन साथी हैं। परलय के दिन अल्लाह के रसूल (पैगम्बर) मुहम्मद स० के करीब वह शख्स होगा जिस के स्वभाव अच्छे रहे होंगे।

अच्छा व्यवहार और आचरण मोमिन की पहचान है जिस ने दिलों को फतेह किया, गैरों और परायों को अपना बनााय। पैगम्बर मुहम्मद स० हमेशा फरमाया करते थे ऐ अल्लाह तूने मेरी शक्ल सूरत अच्छी बनाई है मेरी सीरत (आदत, चरित्र) को भी अछा बना दे। अल्लाह तआला हम लोगों को अच्छे आचरण और स्वभाव वाला बनाए और पैगम्बर मुहम्मद स० की शिक्षाओं के अनुसार जीवन गुज़ारने का सामर्थ दे। आमीन

राहती प्रतिनिधिमण्डल का आसाम का तीन दिवसीय दौरा

दिल्ली-६, अक्टूबर २०१९

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द से जारी अखबारी बयान के मुताबिक मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अमीर मोहतरम मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी के नेतृत्व में मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल जिसमें महा सचिव मौलाना मुहम्मद हारून सनाबिली, कोषाध्यक्ष अलहाज वकील परवेज़ शामिल हैं, आसाम के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। प्रतिनिधमण्डल ने प्रादेशिक जमीअत अहले हदीस आसाम के जिम्मेदारान विशेष तौर पर अमीर मौलाना मक़सूदुर्रहमान मदनी वगैरह के मार्गदर्शन और जिलई जमीअत के जिम्मेदारान की मौजूदगी में पिछले कल दरंग जिले के विभिन्न सैलाब प्रभावित स्थानों जैसे कि बाँदिया, गांधवा, बाग पूरी, मां गोर मारी, और आज दोई गांव ज़िला के कई सैलाब ग्रस्त स्थानों मिसाल के तौर पर बालिजान, बालीडोंगा, होली हामारी, चंगागोड़ी, खलोबिया का दौरा किया, नुकसाानात और तबाहकारियों का जायज़ा लिया और प्रभावितों के बीच खाने पीने के सामान, दाल, चावल, बिस्किट, तेल, कपड़े, लुंगी साड़ी कमबल और नक़्दी तक़सीम किए। प्रेस रिलीज़ के अनुसार प्रतिनिधमण्डल ने हज़ारों मर्द और औरतों के अलावा बाज़ मदर्सों जैसे मदर्सा खदीजतुल कुबरा लिलबनात, बाली डोंगा, हफीजिया मदर्सा वगैरह के क्षात्रों और क्षात्राओं के बीच कमबल बांटे और रिलीफ का काम कल शाम तक जारी रहेगा। इसके बाद नियमित तौर पर प्रभावितों का पुनर्वास योजना में शामिल है। (जरीदा तर्जुमान १६-३१ अक्टूबर २०१९)

अल हाज अब्दुर्रशीद मालियर कोटला का इन्तेकाल

प्रादेशिक जमीअत अहले हदीस पंजाब के पूर्व अमीर, मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के कार्य व सलाहकार समिति के पूर्व सदस्य का २१ नवंबर २०१९ को ११ बजे रात को मालियर कोटला पंजाब में ६२ साल की उम्र में इन्तेक़ाल हो गया। मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अमीर मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी ने अपने एक अख़बारी बयान में अलहाज अब्दुर्रहमान के इन्तेक़ाल पर गहरे रंज व गम का इज़हार किया है और इनके इन्तेकाल को देश, समुदाय, जमाअत और मानवता का बड़ा खसारा क़रार दिया है। वह बड़े ही नेक, परहेज़गार, अच्छे स्वभाव वाले, शरीअत के पाबन्द निस्वार्थ प्रसिद्ध अहले हदीस बल्कि पंजाब में अहले हदीस और मुसलमानों की पहचान थे। दानवीरता उनकी विशेषता थी और मस्जिदों मदर्सों और अन्य ज़रूरत मन्दों की मदद के लिये उनका हाथ हमेशा खुला रहता था आप बहुत सी सूसाइटियों, सभाओं के जिम्मेदार, सदस्य और संरक्षक थे। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए उनकी सेवाओं को कुबूल फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। पसमांदगान खास तौर से साहबज़ादों साजिद रशीद, बिलाल रशीद, तलहा रशीद, यासिर रशीद, सुहैल रशीद और हारून रशीद, एकलौती लड़की, दामाद मुहम्मद उवैस, पोते पोतियों, निवासे निवासियों औरअ न्य संबन्धियों को सब्र की तौफीक दे, और जमीअत व जमाअत को उनका विकल्प दे। अहले हदीस कम्पलैक्स ओखला दिल्ली में भी जुमा की नमाज़ के बाद जनाज़े की गायबाना नमाज़ अदा की गई। मर्कज़ी जमीअत के महा सचिव मौलाना मुहम्मद हारून सनाबिली, कोषाध्यक्ष अल हाज वकील परवेज, अन्य जिम्मेदारान और कार्यकर्ताओं ने मग्फिरत की दुआ की है। (जरीदा तर्जुमान, १-१५ दिसम्बर २०१९, सारांश)

अमीर मोहतरम के नेतत्व में मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के उच्च स्तरीय दावती, तालीमी और राहती प्रतिनिधि मण्डल का पश्चिम बंगाल का तीन दिवसीय दौरा

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अमीर मोहतरम मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी के नेतृत्व में मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द का एक उच्च स्तरीय दावती, तालीमी व राहती प्रतिनिधिमण्डल जिसमें महा सचिव मौलाना मुहम्मद हारून सनाबिली, कोषाअध यक्ष अल हाज वकील परवेज़ शामिल थे तीन दिवसीय पश्चिम बंगाल से २३ नवंबर को दिल्ली वापस आ गया। यह दौरा २१ नवंबर की सुबह से शुरू हुआ था। सूबाई जमीअत अहले हदीस पश्चिम बंगाल के कार्यवाहक अमीर मौलाना शमीम अखतर नदवी, कार्यवाहक सचिव मौलाना जकी अहमद मदनी और जिलई जमीअत मालदा के सचिव मुहम्मद इस्राईल सलफी और खाजिन मास्टर गियासुददीन वगैरह की रहनुमाई में यह काफिला अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर रहा। इस बीच प्रतिनिधिमण्डल ने विभिन्न तालीमी व तर्बियती संस्थाओं का दौरा और दीनी व तालीमी प्रोग्रामों में शिर्कत की और मौसम के अनुसार विभिन्न स्थानों पर सैलाब प्रभावितों के बीच बड़ी तादाद में कंबल तकसीम किया यह सिलसिला २३ नवंबर की शाम तक जारी रहा। प्रेस रिलीज़ के अनुसार अमीर मोहतरम मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी और प्रतिनिधमण्डल के अन्य सदस्यों ने २१ नवंबर को कोलकाता शहर की प्रसिद्ध तालीमी व तर्बियती संस्था जामिअतुल हुदा अल इस्लामिया के तालीमी प्रोग्राम में शिर्कत की और खिताब किया फिर यहां से मालदा रवाना हो गए जहां अगले दिन कई स्थानों पर सैलाब प्रभावितों के बीच सर्दी के दृष्टिगत बड़ी तादाद में कमबल बांटे। प्रतिनि धिमण्डल ने इस दौरान जामिया अर्बिया फैजुल गुरबा खुरधेल, कुल्लियतुल बनात अल इस्लामिया सुन्दर पुर वगैरह की ज़ियारत की और जिम्मेदारान, अध यापक गण और क्षात्र व क्षात्राओं से मुलाकात की और मुफीद मश्वरे दिए और नसीहत की। इस अवसर पर मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अमीरे मोहतरम, महा सचिव और कोषाध्यक्ष के हाथों कुल्लियतुल बनात अल इस्लामिया सुन्दर पुर की अल हेजाज़ लाइब्रेरी का उदघाटन हुआ। अमीर मोहतरम ने गाजोल की मर्कज़ी जमीअत में जुमा का खुतबा दिया। २३ नवबर को जामिया रहीमिया इब्राहीमिया सलफिया कलियाचक मालदा में जिलई स्तर के दावती व तर्बियती प्रोग्राम में शिर्कत की और खिताब किया इस प्रोग्राम में मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अमीर मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी, महा सचिव मौलाना मुहम्मद हारून सनाबिली, कोषाध्यक्ष अलहाज वकील परवेज के अलावा सूबाई जमीअत अहले हदीस पश्चिम बंगाल के कार्यवाहक अमीर मौलाना शमीम अख्तर नदवी, कार्य वाहक सचिव मौलाना ज़की अहमद मदनी, सूबाई जमीअत अहले हदीस बिहार के सचिव मौलाना इन्आमुल हक़ मदनी ने खिताब किया। जिलई जमीअत अहले हदीस मालदा के नाज़िम मौलाना मुहम्मद इस्राईल सलफी ने अमीर मोहतरम की खिदमत में सिपासनामा (मान पत्र) पेश किया। (जरीदा तर्जुमान-१-१५ दिसंबर २०१९)

इमामों की जिम्मेदारियाँ

खुर्शीद आलम मदनी, पटना

इस में कोई शक नहीं कि समाज सुधार में मसाजिद के इमामों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इमाम हज़रात समाज के सुधार के लिये प्रभावी शैली, पवित्र भूमिका और हकीमाना अनदाज़ अपनाते हैं तो समाज को विभिन्न फितनों से बचाया जा सकता है और एक अच्छे समाज का गठन हो सकता है। इसलिये हम चन्द बिन्दुओं को इमामों की खिदमत में पेश करते हैं उम्मीद है कि वह इस तरफ ध्यान दें गे ताकि समाज सुधार में वह सकारात्मक रोल अदा कर सकें और अपनी जिम्मेदारियों की अदायगी में सफल हो सकें।

१. सबसे पहले अमल में इख्लास (निःस्वार्थत) होनी चाहिए ताकि अल्लाह और उसके बन्दों की निगाह में मक़बूल व प्रिय बन जाएं। कर्म चाहे जितना बड़ा हो अगर उसमें इख्लास न हो तो इसकी कोई हैसियत नहीं है और यह मस्जिदें जिन की बुनियाद ही इख्लास व तक़वा पर रखी जाती है अगर मस्जिदों के इमामों के अन्दर इख्लास न हो तो इन मस्जिदों के पवित्र मकसद को पूरा नहीं किया जा सकता।

२. हम तौहीद (एकेश्वरवाद) के झण्डावाहक बन जाएं, अपनी दावत की शुरूआत अकीदा के सुधार से करें, यही तमाम पैगम्बरों (नबियों) की दावत का तरीक़ा रहा है। आज हमारे समाज की सबसे बड़ी खराबी अकीदे की खराबी है। हमारा भरोसा केवल अल्लाह पर होना चाहिए। इसलिये इमाम हज़रात को अपनी तकरीरों में इस बिन्दु का खास ख्याल रखना चाहिए।

३. इमाम हज़रात की तीसरी भूमिका यह होनी चाहिए कि वह अपने परिवार वालों को नमाज़ की प्रेरणा दें, अपने समाज की इस्लाह, नमाज़ से करें, आज मुस्लिम समाज में इस कर्तव्य से बड़ी गफलत पाई जाती है, बाप नमाज़ी है तो बेटा नहीं, शोहर तहज्जुद पढ़ता है लेकिन बीवी बेनमाज़ी है, इसी कर्तव्य की अदायगी में दुनिया और आख़िरत की कामयाबी है इस कामयाबी की आबाज़ मस्जिदों से बुलन्द की जाती है। आओ नमाज़ की तरफ आओ कामयाबी की तरफ, कुरआन में अल्लाह तआला ने फरमाया ''और नमाज़ काइम करें, यक़ीनन नमाज़ बेहयाई और बुराई से रोकती है'' (सूरे अंकबूत ४७)

४. इमाम हज़रात स्वयं अच्छे आचरण और स्वभाव वाले हों, जैसा कि अल्लाह ने अपने रसूल (पैगम्बर) मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के उच्च आचरण की गवाही दी है। आज कुछ लोगों के घिनावने कर्मों ने लोगों को झिंझोड़ कर रख दिया है ऐसे में इमाम हज़रात अच्छे और उच्च आचरण के होंगे तो वह अपने समाज में असर अन्दाज़ होंगे और समाज की नई सुबह और नए दौर की शुरूआत होगी।

५. इमाम हज़रात की पांचवीं भूमिका यह है कि वह अपने अन्दर अपनी जिम्मेदारी का एहसास रखें। इमामत के महान पद पर नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम, खुला-फा-ए राशिदीन, सब इमामत के महान पद पर विराजमान थे, हमें अपनी अज़मत का ख्याल रखना चाहिए और इस पद के साथ न्याय करना चाहिए, इसके साथ मसाजिद की महान भूमिका को अपने दृष्टिगत रखें और इसके रूहानी, सांस्कृतिक, समाजी भूमिका को अदा करने में स्पष्ट रोल अदा करें। मस्जिदों के पैगाम के जरिये समाज की इस्लाह में महान भूमिका है। अल्लाह हम सब को इसकी क्षमता दे। आमीन

किसी जानदार को दुख न पहुंचाओ

इस्लाम की यह शिक्षा है कि किसी भी जानदार को दुख न पहुंचाओ, बल्कि अगर किसी को कोई परेशानी या दुख हो तो उस को दूर करने की भरपूर कोशिश करो, इन्सान होने का यही तकाजा है, किसी भी जानदार चाहे वह जानवर हो या इन्सान उसकी तक्लीफ को हटाना, उसके दुख दर्द को समझना हमारे ईमान का एक हिस्सा है। स्वयं इस संसार के पैदा करने वाले ने यह कहा कि पूरी सृष्टि अल्लाह का कुंबा है और सृष्टि में मेरे नज़दीक सबसे महबूब (प्रिय) वह है जो उसके (अल्लाह के) कुंबे के साथ अच्छा व्यवहार करे। जिस तरह किसी परिवार के मुखिया को अपने परिवार वालों से मुहब्बत होती है उसी तरह अल्लाह को पूरी सृष्टि से मुहब्बत है वह भी चाहता है कि उसकी सृष्टि में से किसी भी जानदार को दुख न पहुंचे। इसी शिक्षा का यह परिणाम है कि इस्लाम ने जानवरों को दुख देने से मना किया है और यह हुक्म दिया गया है कि उनकी ताक़त के अनुसार काम लिया जाये और साथ ही उसको पूरी तरह से चारा दिया जाये।

अब्दुल्लाह बिन जाफर रजि० अन्हो बयान करते हैं कि एक बार अल्लाह के रसूल मुहम्मद स० एक अंसारी सहाबी के बाग में पहुंचे वहां पर एक ऊंट था जब ऊंट ने मुहम्मद स० को देखा तो दर्द भरी आवाज़ निकाली और उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगे। रसूल स० उस ऊंट के पास गये और जैसे ही उस की कंपटी पर अपना हाथ फेरा वह खामोश हो गया। फिर रसूल स० ने पूछा कि इस ऊंट का मालिक कौन है, यह ऊंट किस का है एक अंसारी नौजवान आये और उन्होंने जवाब दिया कि यह मेरा ऊंट है। आप स० ने फरमाया कि बेचारे बेजुबान जानवर के बारे में तुम अल्लाह से नहीं डरते जिसने तुम को इस ऊंट का मालिक बनाया है। इस ऊंट ने मुझसे शिकायत की है कि तुम इसको भूखा रखते हो और ज़्यादा काम लेकर उसको दुख पहुंचाते हो।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद के लड़के अब्दुर्रहमान अपने वालिद से बयान करते हैं एक सफर में हम रसूल स० के साथ थे। आप इंसानी ज़रूरत पूरी करने के लिये चले गये, इसी बीच हमारी नज़र एक चिड़िया पर पड़ी उसके साथ उसके चूजे भी थे हमने इन चूजों को पकड़ लिया वह चिड़िया आयी और हम लोगों के सरों पर मंडलाने लगी इतने में रसूल स० भी आ गये। आप स० ने पूछा किस ने इसके बच्चे को कपड़ कर उसे सताया है इसके बच्चे को वापस करो।

इस तरह के वाक्यात यह साबित करते हैं कि इस्लाम ने हमें हर जानदार पर दया करने का हुक्म दिया हैं।

❑ ❑ ❑

धार्मिक सिद्धांतों से दूर होने का अंजाम

नौशाद अहमद

कर्म इन्सान को धार्मिक सिद्धांतों, सभ्यता और वक़्त का पाबन्द बनाता है, धर्म का समाज सुधार में महत्वपूर्ण रोल रहा है, इतिहास गवाह है कि धर्म ने ही मानवता की रक्षा की है। आज लोग अपने धर्म के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं अगर इसके बारे में समीक्षा की जाए तो परिणाम आश्चर्यजनक ही होगा।

इन्सान का कर्म उसके धर्म की कसौटी पर परखा जाता है कि किन कर्मों के आधार पर इन्सान मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा और किन कर्मों के आधार पर वह नरक में जाएगा।

आज की चकाचौंध और भागदौड़ की जिन्दगी ने इन्सान को धार्मिक कर्तव्यों से दूर कर दिया है, धर्म के सिद्धांत पीछे छूटते जा रहे हैं और भौतिकवाद का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, लोग रूपये पैसे की तरफ सरपट भाग रहे हैं, सब कुछ है, माल है, दौलत है खाने पीने के हर सामान उपलब्ध हैं लेकिन इसके बावजूद इनकी मानसिकता में स्थिरता नहीं है, ज़्यादा तर लोग बेचैनी का शिकार हैं, समाज भांत भांत की बुराइयों में जकड़ता चला रहा है, नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं, नये नये उच्च स्तर के हास्पिटलों की तादाद बढ़ती जा रही है लेकिन मर्ज थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्या आज के इन्सान के पास इतनी फुर्सत और समय है कि वह सोचे कि हम माल व दौलत के बावजूद क्यों व्याकुल और परेशान हैं, हमारी नई नस्ल क्यों दिशाहीन होती जा रही है, उच्च शिक्षा के बावजूद ईमानदारी धराशायी होती जा रही है, रिश्वत और दूसरी बुराईयों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, आज पूरा देश छेड़खानी और बलात्कार के वाकआत से दुखी है, भविष्य के बारे में वह आशांका का शिकार है, हर तरफ से अपराधियों को दंडित करने की आवाज़ उठ रही है, लेकिन इसके बावजूद नारी के साथ दुर्व्यवहार थमने का नाम नहीं ले रहा है, यह सब वह बिन्दु और प्रश्न है जों हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि कहीं न कहीं ऐसी कमी पैदा हो गयी है जो बुराइयों के बढ़ने का कारण बन रही है। अपराध को रोकने और दूसरों के खिलाफ होने वाले अत्याचार चाहे वह किसी भी प्रकार के हों, इस्लाम ने जो सिद्धांत और शिक्षाएं दीं हैं उनको ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ समझना और अध्ययन करना चाहिए खास तौर से धार्मिक कर्मों के उस आधार को समझना होगा जो कुछ वर्षों पहले अम्न व शान्ति, सुख चैन, सौहार्द, सदभावना और सह-अस्तित्व के प्रतीक थे।

यह महसूस हो रहा है कि आज अपराध की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों के दिलों से धार्मिक सिद्धांत और सभ्यता की महत्ता खतम हो गई है जरूरत है कि आज फिर लोगों को बड़े स्तर पर बताया जाए कि मरने के बाद भी इन्सान के लिये एक जीवन है जहां कोई भी अपराधी दंडित होने से बच नहीं पायेगा और कोई भी नेक इन्सान अपने अच्छे कर्म के फल से भी वंचित नहीं होगा। विभिन्न प्रकार की बुराइयां और परेशानियां धार्मिक सिद्धांतों और मर्यादाओं से दूरी का अंजाम हैं धर्म से जुड़ने और जोड़ने की सख़्त ज़रूरत है।

हमें यह याद रखना चाहिए कि जब धार्मिक सिद्धांतों और मर्यादाओं का पतन होता है तो फिर हज चीज़ का पतन हो जाता है।